तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. : 723/NOC/2019

दिनांक :
Dated : 07/06/2019

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (आयुध),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद अयोध्या

विषय- **मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 (रिटेल आउटलेट), ग्राम अशरफपुर, तह0 रूदौली, जिला अयोध्या की गाटा संख्या-1692 & 1693 पर प्रस्तावित (रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विभागीय आख्या के संबंध में |**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 211/आयु0लि0/NOC-IOC/अशरफपुर/2019 दिनांक 04.05.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रस्तावित मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 (रिटेल आउटलेट), ग्राम अशरफपुर, तह0 रूदौली, जिला अयोध्या की गाटा संख्या- 1692 & 1693 पर प्रस्तावित (रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प) क्षमता 1×20 KL MS एवं 2×20 KL HSD पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है | उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में रिटेल आउट पेट्रोल पम्प की स्थापना संबंधी बोर्ड द्वारा कोई मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) निर्धारित नही है | प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प द्वारा प्रेषित अभिलेखों, ले-आउट प्लान, शपथ-पत्र आदि के परीक्षणोंपरान्त प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोलपम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तो को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को काई आपत्ति नही है-

1- प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आसपास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े |

2- पेट्रोलपम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये |

3- पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आसपास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये |

4- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन किया जाये |

5- घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेफ्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये |

6- पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये |

........2

सैयद ताबिश अहद/ Syed Tabish Ahad
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales
गोरखपुर मंडल कार्यालय/Gorakhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Ltd
19/06/19

7- पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये |

8- पेट्रोल पम्प द्वारा हैजाड्र्स वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग एण्ड ट्रांस बाउण्ड्री मूवमेन्ट्स), नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजाड्र्स केमिकल रूल्स, 1989 पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये |

9- पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1x20 किली0 पेट्रोल (MS) एवं 2x20 के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये |

10- प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये |

11- पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इण्डीकेटर लगाया जाये |

12- डी.जी. सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये |

13- पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के भीतर प्रेषित किया जाये |

14- पेट्रोल पम्प द्वारा सभी संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर 6 माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये |

15- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये |

16- पेट्रोल पम्प वाहनों की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान यातायात बाधित न हो |

भवदीय

Swami Nath Ram

(स्वामी नाथ राम)

क्षेत्रीय अधिकारी